संख्या-19/2022/3099/227/2021/001-342-77-3-2022

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 मई, 2022

विषयः- उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हेतु जनपद झांसी में जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7909/यूपीडा/2021/1871/झांसी नोड,जल/ तकनीकी, दिनांक 24.12.2021 तथा पत्र संख्या-9599/यूपीडा/तकनीकी/डिफे0 कॉरि0/ 1871,दिनांक 14.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान के अन्तर्गत अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-08-बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर-24-बृहत् निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 रु0 40000.00 लाख में से उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कारीडोर की स्थापना हेतु जनपद झांसी में जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु रु0 1876.46 लाख (रुपये अठ्ठारह करोड़ छिहत्तर लाख छियालीस हजार मात्र) आवंटित किये जाने के लिये यूपीडा के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम (रूरल) झांसी से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(3) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यो का क्रियान्वयन

सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।
(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 तथा इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1- 224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29.03.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(6) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के मात्राओं को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्थान का होगा।
(7) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।
2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,76,46,000 (रुपये अठारह करोड़ छिहत्तर लाख छियालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-13-X-2022-23-दिनांक:24-5-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-19/2022/3099/227/2021/001-342-77-3-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
4. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (रूरल) जनपद-झांसी।

4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ/झांसी।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
7. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार),
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।